	(1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Chairman; (2) Deputy Director Administration, of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member; (3) Deputy Director in charge of the Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services - Member.	

[F. No. A. 12018/07/2014-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.333.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध चालक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार चालक (स्टाफ श्रेणी-II) और स्टाफ कार चालक (स्टाफ श्रेणी-I) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, स्टाफ कार चालक सामान्य श्रेणी, स्टाफ कार चालक श्रेणी II और स्टाफ कार चालक श्रेणी-I भर्ती नियम 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)	05* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (रु.19,900-63,200)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से भारत में आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2**: यदि सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की जानी है तो आयु-सीमा 18 से 27 वर्ष होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मोटरकार चलाने की विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति; (ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-मोटी खराबी ठीक करनी आनी चाहिए); (iii) मोटरकार चलाने का न्यूनतम 3 वर्षों	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वाले या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र सेना कर्मियों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन

का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण **वांछनीय:** होम गार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में 3 वर्षों की सेवा। **टिप्पण 1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**: अनुभव संबधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपालानी अस्पताल में नियमित सवार हरकारा (समूह ग) और वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रुपए) में समूह ग के कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए वाहन चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार चलाने की विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति हो, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करने वाले व्यक्तियों या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रुपए) में नियमित समूह ग कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को रखते हों। **सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:** सशस्त्र सेना के ऐसे कार्मिक पर भी विचार किया जाएगा जो सेवानिवृत्त होने वाले हों या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के अंदर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जो	**समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** 1.अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; 2.स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उपनिदेशक - सदस्य; 3.उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -सदस्य।	लागू नहीं होता।

निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अर्हताएं रखते हों। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति अवधि प्रदान की जाएगी जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र सेना से कार्यमुक्त किया जाने वाला है, जिसके पश्चात् उन्हें पुन: नियुक्ति पर बनाए रखा जा सकता है। **टिप्पण**: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार चालक श्रेणी II	5* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25400-81100 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900-63,200 रुपए) के स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में 9 वर्षों की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	**समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** 1.अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; 2.उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3.संबंधित अस्पताल के उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक श्रेणी I	5* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200-92,300 रुपए)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रुपए) के स्टाफ कार चालक श्रेणी II जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्षो की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक श्रेणी II और स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा, और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	**समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** 1.संबंधित अस्पताल के अपर चिकित्सा अधीक्षक - अध्यक्ष; 2.उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3.संबंधित अस्पताल के उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए. 11018/27/2017-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 24th October, 2019

G.S.R. 333. —In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital , New Delhi (Group C posts) Recruitment Rules , 1981 in so far as they relate to the post of the Drivers, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Staff car driver (Ordinary Grade), Staff car driver (Staff Grade-II) and Staff car driver (Staff Grade-I) in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital ,New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:

1. Short title and commencement . —

(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, Staff car driver Ordinary Grade, Staff car driver Grade-II and Staff car driver Staff Grade-I Recruitment Rules 2019

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** —The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** —The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** —No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax .** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	05 (2019)* * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C Non-Gazetted Non-Ministerial	Level 2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200)

Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in case of candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applicants (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. **Note 2:** If the direct recruitment is to be made by direct open Competition Examination, the age limit would be 18 to 27 years.	**Essential:** (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10th standard. Desirable: three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation, absorption grade from which promotion / deputation, absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.	**Deputation/Absorption:** From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of dispatch rider on regular basis or regular Group C employees in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) in

		other Ministries of the Central government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7) **Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel**: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding. The appointment in the same or other organization, Department of Central Government shall ordinary not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group C Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1.Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2.Deputy Director in charge of Medical Education, Directorate General of Health Services -Member; 3.Deputy Director Administrative, Lady Hardinge Medical College -Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
2.Staff Car Driver Grade II	05 (2019)* * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C Non Gazetted, Non Ministerial	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)

(5)	(6)	(7)	(8)
Not Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	Promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.

(12)	(13)
Group C Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1.Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2.Deputy Director, Directorate General of Health Services -Member; 3.Deputy Director Administrative, of concerned Hospital -Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
3.Staff Car Driver Grade I	05 (2019)* * subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C Non Gazetted, Non Ministerial	Level 5 in the Pay Matrix (Rs. 29,200-92,300)

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	Promotion	**Promotion**: Staff Car Driver Grade II in Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100) with 6 years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade), and have passed the trade test, specified by the Government.

(12)	(13)
Group C Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1.Additional Medical Superintendent, of the concerned Hospital -Chairman; 2.Deputy Director, Directorate General of Health Services - Member; 3.Deputy Director Administrative, of the concerned Hospital - Member.	Not applicable

[F. No. A.11018/27/2017-MH -II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.334.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में विच्छेदन हॉल तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, (विच्छेदन हॉल तकनीशियन) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन.—**इन नियमों की अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पद पर भर्ती किए गए व्यक्तियों को, जिन्हें इन नियमों के आरंभ से पूर्व सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, इन नियमों के तहत नियुक्त किया हुआ समझा जाएगा और उनके द्वारा उस पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा की गणना परिवीक्षा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।